आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board

Maternity Benefit (Meghalaya BOCW Welfare Board)

मेघालय भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अपने कोष की महिला लाभार्थियों को प्रसूति की अवधि के लिए छोटी नकद राशि देता है।

क्या मिल सकता है

बोर्ड के कोष की महिला लाभार्थी को हर बार 1000 रुपये प्रसूति लाभ के रूप में मिलते हैं। यह लाभ अधिकतम दो बार ही मिलता है।

किसके लिए है

मेघालय भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कोष की लाभार्थी महिला निर्माण श्रमिक।

मुख्य शर्तें

- आवेदक बोर्ड के कल्याण कोष की लाभार्थी महिला होनी चाहिए।
- एक ही महिला को यह लाभ अधिकतम दो बार दिया जाता है।
- दावे के साथ मासिक अंशदान की रसीद और बोर्ड द्वारा मांगे गए चिकित्सा कागज लगाने होते हैं।

दस्तावेज़

- संबंधित डॉक्टर का हस्ताक्षर सहित चिकित्सा प्रमाणपत्र और दावा
- अस्पताल में रहने के दिनों के चालान या बिल
- अंतिम मासिक अंशदान का चालान या रसीद

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड के योजना पेज से प्रसूति लाभ का आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
2. फॉर्म संख्या XXXIII भरें और उसके साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र, अस्पताल के बिल और अंतिम अंशदान रसीद लगाएं।
3. दावा शिलांग स्थित बोर्ड कार्यालय या बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://megbocwwb.gov.in/schemes_maternity
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-bocw-maternity-benefit/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।